कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2549 /12–1 देहरादून: दिनांक: 19 अप्रैल, 2025

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।

वन अनुभाग–03

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जाजरदेवल मूलागाड कैली–सैली मोटर मार्ग के नव निमार्ण हेतु 0.9 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/55006/2020)

संदर्भः– वन एवं पर्यावरण अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 741/X-3-21/1(76)/2021 दिनांक 02.07.2021

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे उत्तराखण्ड शासन द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ की पत्र संख्या–5968/12–1 दिनांक 24.03.2025 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रसतावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों पर समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 1,46,400.00 मात्र जमा करा दी गई है। ***(संलग्नक–1)***
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या –5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या –5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि रू0 5,91,300.00 मात्र जमा कर दी गयी है। **(संलग्नक 1 के अनुसार)**
3.	प्रयोक्ता अभिकारण इस आश्य का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगें कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है। ***(संलग्नक–2)***
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007– एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गये आदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी अलग निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या–एस0बी0 –25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकर्म), ब्लॉक–11 भूतल सी0जी0ओ0 कॉमप्लेक्स फेज–01 लोधी रोड नई दिल्ली– 110003 में जमा कराने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गई। धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराए जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 तथा प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि की पावती की छायाप्रति व ड्राफ्ट की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक 1 के अनुसार)**

5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा भू–वैज्ञानिक की शर्ते मान्य होने का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। *(संलग्नक–3)*
6.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित है। *(संलग्नक–4)*
7.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपन से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
10.	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।

अतः सूचना संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि जा रही है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संर्वधन) अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को अग्रसारित करना चाहें।

<u>संलग्न–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

संख्या :2549 / 12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड़ अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड़, लोक निमार्ण विभाग, पिथौरागढ़।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com; Fax/☎ 05964-225234

पत्रॉकः– 5968 / 12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 24, मार्च, 2025।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ (केली सेली) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.9 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक संख्या–2019 / 12–1 दिनांक 10.02.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में इस कार्यालय की पत्र संख्या 7891 / 12–1 दिनांक 30.05.2024 द्वारा पूर्व में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी थी, जिसमें वर्तमान तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हुयी है।

अतः सुलभ सन्दर्भ हेतु उक्त अनुपालन आख्या की छायाप्रति पुनः सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–यथौक्त।

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून
प्राप्ति सं0 4413
पत्रावली 12-1
दिनांक 11-4-25

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

संख्याः– 5968 / 12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ को उपरोक्त के कम में इस आशय से प्रेषित कि अनुपालन आख्या ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड़ करना सुनिश्चित करें।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

प्रभारी पिथौरागढ़
आ.का.करें।

प्र0व0सं0/नो0
2-4-25

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax &☎ 05964- 225234

पत्रॉक: 7391 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 30, मई, 2024।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– **जनपद पिथौरागढ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अर्न्तगत विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अर्न्तगत जाजरदेवल मूलागाड़ कैली–सैली मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.9 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– **उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 741/X–3–21/1(76)/2021 दिनांक 02–07–2021।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के कम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित है–

क्रम सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानो पर नियमानुसार वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मार्ग की आस पास रिक्त पडे स्थानो पर यथोचित वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु0 1,46,400.00 मात्र जमा कर चालान रसीद उपलब्ध कराया गया है। (प्रति संलग्न)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0स0 –566 एंव भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0स0 –566 एंव भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि रु0 5,91,300.00 मात्र जमा कर चालान रसीद संलग्न कर प्रेषित की गयी है।
3	प्रयोक्ता अभिकारण इस आश्य का बचनबद्वता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी की दर से बढोत्तरी होती है तो वढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है। (प्रपत्र संलग्न)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या –05–03/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0 एस0बी0 –25229 कार्पोरेशन बैक (भारत सरकार का उपकम) ब्लॉक –11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स फेज–01 लोधी रोड नई दिल्ली 110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 तथा प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि की पावती की छाया प्रति व ड्राफ्ट की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एंव भू –वैज्ञानिक के सुझावो का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	भू –वैज्ञानिक की शर्त मान्य होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखो / प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रपत्र संलग्न।
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार , पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडो़ की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
10	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।

संलग्नः– यथोक्त।

अतः प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

पत्रांकः– 789। /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संलग्नक – 1

NEFT R

आधार देयक मुख्य कोषाधिकारी

NK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 24-11-2023

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6155006278
MoEF/SG File No.	1(76)/21
Location.	UTTARANCHAL
Address:	PD PWD PITHORAGARH GHANTAKARAN DISTT PITHORAGARH 262501 Pithoragarh
Amount(in Rs)	737700/-

Amount in Words :Seven Lakh Thirty-Seven Thousand Seven Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896155006278 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

lan, if the payment status has not been updated
your challan with transaction date and reference
unionbankofindia.bank,

cheque No-953305
Date 14.12.2023

संलग्नक-2

प्रारुप–51

परियोजना का नाम:– माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ कैली (सैली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो. नि. वि.
पिथौरागढ़

संलग्नक-3 (66)

प्रारुप-34

परियोजना का नामः– माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ह0/–
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो. नि. वि.
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

संलग्नक-4

(5)

प्रारुप–30.3

ा विवरण :– माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत ल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
जिला स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ ली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (**0.00** हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.90** हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.00 हे0 ात भूमि, अर्थात कुल 0.90 हे0 वन भूमि) का **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 ंत जिला स्तरीय समिति, (तहसील पिथौरागढ़) की दिनांक 07/11/2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 ति जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **श्री विजय कुमार जोगदंडे जिलाधिकारी** एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।
विजय कुमार जोगदंडे जिलाधिकारी पिथौरागढ अध्यक्ष
विनय कुमार भार्गव प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ सदस्य
ति गंगोत्री दताल ग्राम दांतू पो0 जौलजीबी, धारचूला जिला पंचायत सदस्य
सूरेश जेठा ग्राम सुवा पो0आ0– धारचूला जिला पंचायत सदस्य
ती पुषा देवी ग्राम चामी भैंसकोट विकास खण्ड मुनस्यारी जिला पंचायत सदस्य
~~विद्यासागर कापड़ी~~ ——जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य/सचिव
जिला सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की ाननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र ाढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना हेतु **0.90** हे0 वन भूमि **प्रान्तीय ोक निर्माण विभाग पिथौरागढ** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा ाम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।
संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन ों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया । इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।
बैठक में सर्वसम्मति से माननीय माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.90 हे0 वन भूमि **प्रान्तीय ोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने मति व्यक्त की गयी।
ः प्रकरण में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

धारचूला जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत खेला 02 धारचूला (पिथौरागढ़)	मुनस्यारी जिला पंचायत सदस्य पुष्पा देवी जिला पंचायत सदस्य 09 नाचना, पिथौरागढ़	जौलजीबी धारचूला जिला पं0 सदस्य श्रीमती गंगोत्री दताल सदस्य जिला पंचायत मेतली (पिथौरागढ़)
प्रभागीय वनाधिकारी	समाज कल्याण अधिकारी	जिलाधिकारी पिथौरागढ़

(6)

प्रारुप–30

ाकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

nent of Uttarakhand Office of the District Collector Pithoragarh

75 Dated 27/11/2020

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

omplinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's ɔ 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on ion of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights ıe Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights))6 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes th MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in of linear projects, it is certified that **0.900** hectares of forest land proposed to be diverted ır of **Public Work Department** for in **Pithoragarh** district falls within jurisdiction of **a, Mulagarh, Garhan** village (s) in **Bin (Pithoragarh)** tehsils.

ther certified that:

the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the **entire 0.900** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

ıs above.

जिलाधिकारी Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

(7)

प्रारूप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of thc district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pithoragarh** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/~~Mrs/Miss~~ Dr. Vijay Kumar Jogdande. I.A.S deputy commissioner,. .Pithoragarh on dated 07/11/2020at time ...1:40....at ...P.M... in which application claiming rights in P.D. PWD Pithoragarh area measuring 0.90 hect for the construction of Jajardeval To Mulagarh Motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Pithoragarh sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;..Pithoragarh
Dated:.07/11/2020

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

प्रारुप--30.2

परियोजना का नाम :– माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.90** हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि ,**शून्य** हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **0.90** हे0 वन भूमि) का **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पिथौरागढ़) की दिनांक 16.10.2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **श्री तुषार सैनी**, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री **तुषार सैनी** उपजिलाधिकारी पिथौरागढ़ अध्यक्ष
2– श्री नवीन चन्द्र पन्त ——उप प्रभागीय वनाधिकारी ——सदस्य
3– श्री [illegible] ——सहायक समाज कल्याण अधिकारी——सदस्य/सचिव
4– श्रीमती रेनू भट्ट पत्नि श्री अशोक भट्ट बी0डी0सी0 क्षेत्र **सोनगॉव** सदस्य
5– श्री शुभम चन्द पुत्र श्री शिव राज चन्द बी0डी0सी0 क्षेत्र **मूनाकोट** सदस्य
6– श्री राजेन्द्र सिंह गोबाड़ी पुत्र श्री लाल सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र **रज्यूड़ा** सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना हेतु **0.90** हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पिथौरागढ परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.90 हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
जनपद– पिथौरागढ

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
जनपद– पिथौरागढ़

राजेन्द्र सिंह
सदस्य
क्षेत्र पंचायत [illegible]

(9)

प्रारुप–30.3

योजना का नाम :– मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य

<u>वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र</u>
ग्राम पंचायत का नाम ...सलमोड़ा...............
तहसील पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत [illegible]रदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (**शून्य** हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.90 हे0 सिविल सोयम ,शून्य हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल **0.90** हे0 वन भूमि का **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागढ़** विभाग / संस्था के [illegible]में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सलमोड़ा... द्वारा दिनांक..29/01/21...को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई : कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का [illegible]ा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी [illegible]वासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु [illegible]दित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सलमोड़ा .. के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु [illegible] जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / [signature]
ग्राम प्रधान
मुहर सहित
ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत–सलमोड़ा
विकास खण्ड मूनाकोट (पिथौरागढ़)

[signature]
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र सलमोड़ा..........................
वि0ख0 - मूनाकोट , पिथौरागढ़

तउली थापी
ह0 / –
[illegible] सरपंच [illegible]
मुहर सहित

(11)

प्रारुप–30.3

योजना का नाम :– मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम ...सलमोड़ा (मूलागाढ़)
तहसील पिथौरागढ, जिला पिथौरागढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (**शून्य** हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.90 हे0 सिविल सोयम मे ,शून्य हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल **0.90** हे0 वन भूमि का **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागढ़** विभाग/संस्था के ा में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ...सलमोड़ा.. द्वारा दिनांक..29/01/20..को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। ; कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का ब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी दिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु वेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम..मूलागाढ़........ ...... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु ये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– ग्राम प्रधान मुहर सहित (प्रधान, ग्राम पंचायत–सलमोड़ा, विकास खण्ड मूनाकोट (पिथौरागढ़))	ग्राम पंचायत विकास अधिकारी क्षेत्र..सलमोड़ा.......... वि0ख0- मूनाकोट ... पिथौरागढ़	ह0/– सरपंच मुहर सहित (वन पंचायत सलमोड़ा)

प्रारुप—30.3

परियोजना का नाम :— माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत

जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ...सलमोड़ा...(गाढ़ान)

तहसील पिथौरागढ, जिला पिथौरागढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में माननीय मु0मं0 घोषणा के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत जाजरदेवल मूलागाड़ केली (सेली) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (**शून्य** हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.90 हे0 सिविल सोयम भूमि ,शून्य हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल **0.90** हे0 वन भूमि का **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागढ़** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सलमोड़ा... द्वारा दिनांक 28/01/20......को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ......गाढ़ान.......... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/—
ग्राम सचिव
मुहर सहित
बीसाबजेड़
— मूनाकोट
जिला

ह0/—
प्रधान
ग्राम प्रधान/सरपंच पंचायत-सलमोड़ा
मुहर सहित मूनाकोट (पिथौराग